चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : शोध/ए0आर0/ 3716
दिनांक : 29.08.2023

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की विद्ववत परिशद की बैठक दिनांक 07.08.2023 में शोध से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. प्रीपीएच–डी0 कोर्सवर्क की कक्षायें इस प्रकार संचालित की जायेंगी जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों से सम्बद्व महाविद्यालयों के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार ऑनलाइन कक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। अन्य विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षायें उपलब्ध होंगी। असाधारण परिस्थितियों में सम्बन्धित समन्वय्क के अनुरोध पर सम्बन्धित संकायाध्यक्ष किसी विद्यार्थी को अधिकतम 40 प्रतिशत तक कक्षाओं में ऑनलाइन उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर सकते है।
2. छात्रों की संख्या 60 से अधिक होने पर सम्बन्धित विभाग दो (02) बैच बनाने पर विचार कर सकता है परन्तु इसके लिए औचित्य बताते हुए पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक होगी।
3. जिन विद्यार्थियों ने किसी राज्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त शोध संस्थान से प्रीपीएच–डी0 कोर्सवर्क पूर्ण कर लिया है उन्हें चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रीपीएच–डी0 कोर्सवर्क से उन्मुक्ति होगी।
4. प्री–सबमिशन वायवा के समय सम्बन्धित शोध पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह शोधार्थी के शोध शीर्षक से समन्वय्क प्रथम (विश्वविद्यालय परिसर) तथा समन्वय्क द्वितीय (महाविद्यालय) को अवगत कराये ताकि शोध ग्रन्थ जमा होने के साथ–साथ सील बंद लिफाफे में 06 विषय विशेषज्ञों के नाम सम्बन्धित पर्यवेक्षक से, 06 नाम समन्वय्क प्रथम से तथा 06 नाम समन्वय्क द्वितीय से प्राप्त हो जायें। उक्त तीनों सूचियों से कोई भी तीन विशेषज्ञों के नाम मा0 कुलपति जी द्वारा नामित किये जायेंगे। मा0 कुलपति जी को कोई और नाम भी जोड़ने का अधिकार होगा।

   ऐसे विषय जिनमें विश्वविद्यालय परिसर के समन्वय्क नहीं है, में केवल सम्बन्धित शोध पर्यवेक्षक एवं महाविद्यालय के समन्वय्क से 06–06 विषय विशेषज्ञों के नाम प्राप्त किये जायेंगे।

   यदि शोध ग्रन्थ जमा होने के 10 दिवस के भीतर समन्वय्क प्रथम एवं द्वितीय में से किसी एक के विषय विशेषज्ञों के नाम प्राप्त नहीं होते हैं उस दशा में किसी भी एक समन्वय्क द्वारा प्रदत्त सूची एवं सम्बन्धित शोध पर्यवेक्षक द्वारा प्रदत्त सूची से ही 03 विषय विशेषज्ञ मा0 कुलपति जी द्वारा नामित किये जायेंगे।
5. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु वाह्य परीक्षकों के नाम प्रस्तावित करते समयशोध निदेशक तथा संयोजक से अपेक्षा की जाती है कि वे वाह्य परीक्षकों के नाम में पुनरावृत्ति से बचे एवं वाह्य परीक्षकों के पद, विशषज्ञता और विश्वविद्यालय के बारे में सुनिश्चित कर लें।

   समस्त सम्बन्धित पक्षों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

29/08/23

सहा0 कुलसचिव (शोध)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. समस्त संकायाध्यक्ष, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
02. समस्त समन्वय्क/विभागाध्यक्ष, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. समस्त संयोजक (महाविद्यालय)।
04. निदेशक (शोध), चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सहा0 कुलसचिव (शोध)